



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर  
फोन न. 0141-2221463, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com

F.42(504)/NRHM/H&WC/PART-2/CHO-2020-21/1120

दिनांक:- 25/10/21

**आदेश**

राजस्थान में दिनांक 20.09.2021 से BPCCHN कोर्स कर रहे निम्नांकित सीएचओ अभ्यर्थियों के स्वयं के आवेदन के आधार पर इन्हें ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण छोड़ने तथा आवंटित कॉलेज में जमा मूल दस्तावेज लौटाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	रोल नम्बर	नाम	आवंटित संस्थान का नाम	टिप्पणी
1	629565	अमित कुमार	एनएनएमटीसी धौलपुर।	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में चयन।
2	100844	भुकेश कुमार मीणा	एनएनएमटीसी पाली।	पारिवारिक कारण।
3	504161	उदय लाल मीणा	एनएनएमटीसी प्रतापगढ़।	AIIMS पटना में चयन के कारण।
4	606187	आशा कुमारी मीणा	लिबर्टी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर प्रथम	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में चयन।
5	627687	सुमन परेवा	राजश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर।	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में चयन।
6	607206	ममता यादव	पिंक सीटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर।	AIIMS भटिंडा में चयन के कारण।
7	600811	मंजु मीणा	श्री राधारमन नर्सिंग कॉलेज, जयपुर।	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में चयन।
8	104713	वगताराम देवासी	सनराईज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में चयन।

नोट :- इन अभ्यर्थियों का भविष्य में सीएचओ सविदा पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

(सुधीर कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0

एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

दिनांक:-

F.42(504)/NRHM/H&WC/PART-2/CHO-2020-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एनएचएम।
5. रजिस्ट्रार आरयूएचएस।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित मूल दस्तावेज उनको लौटाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
8. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

राज्य नोडल अधिकारी  
H&WC